समाहरणालय, मुंगेर।

(जिला योजना कार्यालय)

आदेश

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शिका के आलोक में जिला चयन समिति की दिनांक 03.10.2013 की बैठक में मुंगेर विधानसभा के लिए वर्ष 2013–14 हेतु अनुमोदित निम्नलिखित योजनाओं का प्राक्कलन तकनीकि स्वीकृति के पश्चात कार्यपालक अभियता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक 2930 दिनांक 28.11.2013 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए है।

सम्यक विचारोपरांत निम्नांकित योजनाओं पर प्रदत्त तकनीकि स्वीकृति के आलोक में निम्न प्रकार प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

क0	योजना का नाम	प्रखण्ड	तकनीकि स्वी0 राशि	प्राक्कलित राशि	प्राथमिकता कमांक
1	2	3	4	5	6
1	बरियारपुर प्रखंड अन्तर्गत आशा टोला में नाट्य कलामंच का निर्माण	बरियारपुर	479000.00	479000.00	1
2	खड़िया में उच्च विद्यालय के प्रांगन में नाट्य कलामंच का निर्माण	बरियारपुर	479000.00	479000.00	2
3	बरियारपुर प्रखंड के झौवाबहियार पंचायत के अन्तर्गत चैती दुर्गास्थान के निकट कलामंच का निर्माण	बरियारपुर	479000.00	479000.00	4
4	एन0एच0 80 नवसृजित विद्यालय बंगाली टोला से लेकर पुल तक पी0सी0सी0 पथ का निर्माण	बरियारपुर	701200.00	701200.00	21
	योग–		**2138200.00**	**2138200.00**	

कुल प्रशा0 स्वी0 की राशि मो0– 2138200.00(एकीस लाख अड़तीस हजार दो सौ) रू0 मात्र।

सामुदायिक भवन, कलामंच, छतदार चबुतरा इत्यादि जैसी योजनाएं जिनके लिए सरकारी भूमि की आवश्यकता है, संबंधित अंचलाधिकारी से उन योजनाओं हेतु सरकारी भूमि की उपलब्धता का प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् ही उनकी निविदा प्रक्रिया प्रारंभ की जाय।

शर्ते–

1. कार्यकारी एजेंसी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर यह सुनिश्चित करेंगे कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शिका के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।
2. योजना कार्यान्वयन से पूर्व उस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रवैधिकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
3. कार्यकारी एजेंसी योजनाओं का कार्य निविदा के माध्यम से प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप कराना सुनिश्चि करेंगे तथा वे इसके लिये पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
4. राशि का संधारण वित्तीय नियमावली के तहत संधारित किया जाय।
5. किसी भी परिस्थिति में इस राशि का विचलन अयन्त्र नही होगां।
6. कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्य स्थल पर कार्य प्रारंभ कराये जाने के साथ साईन बोर्ड लगाया जायेगा जिसपर योजना का नाम, योजना का मद, प्राक्कलित राशि कार्यकारी एजेंसी का नाम, संवेदक का नाम तथा योजना पूर्ण होने की तिथि अंकित की जायेगी।

7. योजना के कार्य प्रारंभ किये जाने के पूर्व इसका रंगीन फोटो लिया जाय तथा इसे अभिलेख मे रखा जाय। इसी प्रकार एक रंगीन फोटो कार्य के मध्य में तथा एक फोटो योजना पूर्ण होने के पश्चात लिया जाय और इसे अभिलेख के साथ संलग्न कर रखा जाय।

8. योजना का कार्य अगले तीन माह में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

9. योजना का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की तीसरी तारीख तक निश्चित रूप से जिला योजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

10. कार्यकारी एजेंसी इस योजना मे कार्य प्रारंभ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि योजना स्थल सरकारी जमीन हो एवं वर्णित कार्य किसी अन्य मद से नही कराया जा रहा है।

11. योजना का एन0ओ0सी0 संबंधित विभाग से प्राप्त कर लेंगे।

12. संबंधित विधान मंडल सदस्य से योजनाओं के शिलान्यास/उद्घाटन में विभागीय पत्रांक 612 दिनांक 11.02.2013 के निदेशो का अनुपालन करेंगे।

जिला योजना पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक 637/ जि0यो0, दिनांक 9/12/13

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि– संयुक्त निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि– श्री अनन्त कुमार सत्यार्थी, माननीय स0वि0स0, मुंगेर विधानसभा क्षेत्र को सादर सूचनार्थ।

जिला योजना पदाधिकारी
मुंगेर।